प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करते समय छात्र/छात्राओं द्वारा क्या करें तथा क्या न करें, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत विवरण शिक्षण संस्थाओं एवं खण्ड विकास अधिकारियों को ई–मेल तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः–

क–आनलाइन आवेदन करने हेतु छात्र क्या करें–

1. छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें। छात्र/छात्रा आधार नम्बर का अपने मोबाइल एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ लिंक अवश्य करा लें। बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नही होगा।
2. छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात् एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा–हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाणपत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत् परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम् योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्रा में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई०एफ०एस० कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जॉच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
3. सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जॉच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जॉच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
4. आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
5. अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable Fees) के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
6. नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये (01 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ) निर्धारित अन्तिम तिथि (कक्षा 9–10 के लिये 10 अगस्त, 2019 तक एवं कक्षा 11–12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 20 अगस्त, 2019 तक) से पूर्व आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना एवं हार्डकॉपी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त करने वाले नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
7. नवीनीकरण एवं नवीन श्रेणी के अवशेष छात्रों को आवेदन पत्र भरने के लिये 01 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ होकर निर्धारित अन्तिम तिथि कक्षा 9–10 के लिये 10 सितम्बर, 2019 तक एवं कक्षा 11–12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 10 अक्टूबर, 2019 तक का समय दिया जा रहा है। छात्र इस समय–सीमा में ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्डकॉपी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। इस समय–सीमा के उपरान्त आवेदन करने की तिथि में कोई वृद्धि नही की जायेगी। यदि किसी कारणवश वृद्धि की जाती है तो छात्रवृत्ति पाने हेतु छात्र का वरीयताक्रम सबसे नीचे होगा।
8. आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से KYC (Know Your Customer) पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में KYC (Know Your Customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये

Subject: Guidelines for applying UP scholarship online.
Chauhan 04/9/19

Kindly circulate this to all students through e-portal.
Chauhan 04/9/19

Scanned by CamScanner

रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे।

9. बचत बैंक खाता संख्या (CBS) एवं IFSC कोड को भलीभांति जॉच लें। बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड भरने में जीरो (0) और ओ (O) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।
10. अपने आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या बिलकुल सही भरें, गलत खाता संख्या एवं बैंक शाखा पर आपका आवेदन निरस्त हो जायेगा।.
11. छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत् परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (Non Refundable) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत् कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षफल से किया जायेगा।
12. सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित Regular)/स्ववित्त पोषित (Self Finance) व उसके वर्ष का अंकन सही-सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
13. छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।
14. वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय-सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.nic.in पर समय-समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली-भांति पालन करें एवं समय-सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
15. छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

ख- आनलाइन आवेदन करने हेतु छात्र क्या न करें-

1. शिक्षण संस्था में जमा करने के लिय आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
2. अपने व्यक्तिगत् विवरण/अभिलेख यथा-हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
3. आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
4. अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन न करें।
5. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नही माना जायेगा। समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट आउट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
6. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियॉ भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
7. यदि आपका डाटा संदेहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सन्देहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त

Scanned by CamScanner

नही होता है तथा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नही होती है तो जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

(प्रवीण कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांकः C-1343 /स0क0/छात्रवृत्ति/विज्ञप्ति/2019–20 दिनांकः 02-9-2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कुलसचिव केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, जनपद प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. सहायक निदेशक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (उच्च शिक्षा) प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उक्त का क्रमानुसार माह सितम्बर, 2019 तक निरन्तर प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (डायट) प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त निदेशक/रजिस्ट्रार/कुलसचिव/प्राचार्य/प्रधानाचार्य की सेवा में इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, प्रयागराज को उपरोक्तानुसार प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

Scanned by CamScanner